समाहरणालय, मधेपुरा

(शस्त्र शाखा)

आदेश

श्री शंभू शरण सिंह, पिता-जागेश्वर सिंह, सा0+पो0-लालपुर, थाना-सिंहेश्वर, जिला-मधेपुरा को एक, एक नाली बन्दूक की अनुज्ञप्ति संख्या 01/1981 (सिंहेश्वर थाना) प्राप्त है, जिस पर शस्त्र संख्या-206465/749 धारित है। उनके पुत्र श्री चंदन कुमार सिंह, पिता-स्व0 शंभू शरण सिंह, सा0+पो0-लालपुर, थाना-सिंहेश्वर, जिला-मधेपुरा द्वारा सूचित किया गया है कि उनके पिता स्व0-शंभू शरण सिंह की मृत्यु दिनांक 14.08.2015 को हो चुकी है एवं उक्त शस्त्र को प्रीमियम आर्म्स दुकान, भागलपुर में जमा करने हेतु अनुमति के लिए अनुरोध किया गया है।

अतः श्री चंदन कुमार सिंह, पिता-स्व0 शंभू शरण सिंह द्वारा समर्पित आवेदन पत्र के आलोक में शस्त्र अधिनियम की धारा 17 (6) के तहत उनके पिता स्व0 शंभू शरण सिंह के नाम से निर्गत एक नाली बन्दूक की अनुज्ञप्ति संख्या 01/1981 को रद्द किया जाता है तथा शस्त्र अधिनियम की धारा 21 (1) के तहत् धारित एक नाली बन्दूक संख्या-206465/749 को प्रीमियम आर्म्स दुकान, भागलपुर में रखने की अनुमति दी जाती है एवं आवेदक श्री चंदन कुमार सिंह, पिता-स्व0 शंभू शरण सिंह को निदेश दिया जाता है कि मृतक के नाम से निर्गत मूल शस्त्र अनुज्ञप्ति एवं शस्त्र जमा किए गए शस्त्र की पावती रसीद की प्रति जिला शस्त्र दण्डाधिकारी, मधेपुरा को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे।

जिला शस्त्र दंडाधिकारी, मधेपुरा को निदेश दिया जाता है कि वांछित कागजात प्राप्त होने के उपरान्त उक्त आशय की प्रविष्टि संबंधित अनुज्ञप्ति पंजी में कराते हुए अपना हस्ताक्षर पृष्ठांकित कर देंगे।

प्रीमियम आर्म्स दुकान, भागलपुर को निदेश दिया जाता है कि उपरोक्त शस्त्र अनुज्ञप्ति पर धारित एक नाली बन्दूक संख्या-206465/749 को अपने प्रतिष्ठान में जमा कर अनुपालन प्रतिवेदन भेजना सुनिश्चित करें।

इसकी सूचना सभी संबंधितों को दी जाए।

सो/-

जिला दण्डाधिकारी,

मधेपुरा।

ज्ञापांक 605 /वि0, मधेपुरा, दिनांक 17.12.2015

प्रतिलिपि : श्री चंदन कुमार सिंह, पिता-स्व0 शंभू शरण सिंह, सा0+पो0-लालपुर, थाना-सिंहेश्वर, जिला-मधेपुरा को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि : प्रीमियम आर्म्स दुकान, भागलपुर को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि : थानाध्यक्ष, सिंहेश्वर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि : पुलिस अधीक्षक, मधेपुरा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि : जिला सूचना विज्ञान अधिकारी, मधेपुरा को मधेपुरा जिला के वेवसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि : समाहर्त्ता एवं जिला दण्डाधिकारी, सम्पूर्ण बिहार राज्य को सूचनार्थ प्रेषित।

जिला दण्डाधिकारी,

मधेपुरा।